पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 208/2022

अनवान :

हनुमान सिंह पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री रामकुमार पत्नी आशा राम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा हाल गोपालसर तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. बैंक एसबीआई शाखा मूर्तिचौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 201/238 के खसरा सं0 212/3 की 1.0370है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 241/243 के खसरा सं0 225/1 की 3.6650है0, खसरा सं0 283/1 की 1.7010है0, खसरा सं0 46 की 1.0450है0 कुल 6.4110है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाए वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner